उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या **261** / सैंतीस–2–2019–5(53) / 18
लखनऊः दिनांकः **28** जनवरी, 2019

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।

कृपया शासनादेश संख्या–4324 / सैंतीस–2–2018–5(53) / 2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन की नीति का प्रख्यापन किया गया है। शासनादेश के प्रस्तर–7.8 (संलग्नक–1) के बिन्दु–5 के अनुसार प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा यह भी उल्लिखित है कि उक्त समिति द्वारा प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम एक बार करेगी। तत्क्रम में प्रथम बैठक दिनांक 15.01.2019 को आयोजित की गयी।

2. उक्त बैठक में पशुपालन विभाग द्वारा निराश्रित / बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों का प्रस्तुतीकरण पशुपालन विभाग द्वारा किया गया, जिसके प्रत्येक प्रस्तर पर समिति द्वारा सामूहिक विमर्श करते हुए इस ज्वलंत समस्या के निदान हेतु विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय एवं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परामर्शी मार्गनिर्देशों पर प्रदेश स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. निराश्रित / बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

28.1.19
(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या (1) / सैंतीस–2–2019तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पशुधन राज्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक / संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त उप निदेशक / मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

28/1/19

आज्ञा से,
(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक

परामर्शी मार्गनिर्देश

उद्देश्य

यह परामर्शी मार्गनिर्देश उदाहरण स्वरूप हैं। इन मार्गनिर्देशों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर गठित समिति/टास्क फोर्स द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश की ज्वलंत समस्या के निदान हेतु यथावश्यकता अभिनवीकरण (Innovation) कार्यहित/जनहित में किया जा सकता है।

1. **निराश्रित/बेसहारा गोवंश का तात्पर्य**

निराश्रित/बेसहारा गोवंश का तात्पर्य ऐसे गोवंश से है जिसका कोई स्वामी/मालिक न हो एवं खेतों तथा सड़कों पर घूमते पाये जा रहे हों।
गोवंश की स्थिति जिसके कारण कृषक/पशुपालक उन्हें निराश्रित/बेसहारा छोड़ देते हैः– (यह एक उदाहरर्णात है न कि संपूर्ण)

(i) नर गोवंश जिनका उपयोग कृषक/पशुपालकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। (यथा– सांड़, बैल, बछड़ा आदि)

(ii) ऐसी मादा गोवंश जो–

1. गर्भ धारण न होने योग्य हो।
2. अशक्त हो।
3. दुर्घटनाग्रसित हो।
4. बॉझपन से ग्रसित हो।
5. स्थायी अनुवर्तता (Permanent Sterility) हो।
6. नगण्य दुग्ध उत्पादन क्षमता के कारण निराश्रित/बेसहारा हो।
7. शुष्क (dry) हो।

2. **अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापना विषयक गतिविधियॉ**

2.1 **पशुओं का चिन्हांकनः** निराश्रित/बेसहारा पशुओं के चिन्हांकन हेतुः–

(1) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड में निम्नतम स्तर (यथा–ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम/न्याय पंचायत स्तर व शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के स्तर पर उपलब्ध फील्ड स्तरीय) पर कार्यरत विभिन्न विभागों (यथा–राजस्व, पुलिस, सिंचाई, ग्राम्य विकास, पंचायतराज आदि) के कार्मिकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम/मजरावार, मोहल्ला/वार्डवार पशुओं का चिन्हीकरण किया जाये।

(2) पशुओं का चिन्हांकन करते समय आयु, ब्यात, लिंग आदि तथा यदि पशु स्वामी है तो, पशु स्वामी का नाम, पता व सम्पर्क हेतु दूरभाष कमांक आदि अंकित किया जाये।

(3) सभी निराश्रित/बेसहारा गोवंश का ग्राम स्तर पर चिन्हीकरण किया जाये। इसके लिए पशुपालन विभाग के पास उपलब्ध टैग से सभी गोवंश का टैगिंग कराया जाये। चूँकि वर्तमान में उपलब्ध टैग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना हेतु उपलब्ध है। अतः इसे रिप्लेस एवं भविष्य में

निराश्रित/बेसहारा पशुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पशुपालन विभाग को, राज्य सरकार के बजट से टैग एवं उसको लगाने हेतु मानव संसाधन का वित्त पोषण भी किया जाये। इस हेतु पशुपालन विभाग योजना बनाते हुए राज्य बजट के माध्यम से धनराशि की मॉग करेगा। यह भी निर्णीत हुआ कि टैगिंग कोड तथा पंजीकरण में यथासंभव जनपद/तहसील/विकास खण्ड/न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत व पशु विवरण की व्यवस्था की जाये।

(4) यथा संभव चिन्हांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक (यथा–बारकोडिंग, RFID Tagging आदि) का प्रयोग किया जाये।

2.2 आस्थयी गोवंश आश्रय स्थल हेतु भूमि का चिन्हांकन व हस्तांतरण

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना हेतु विभिन्न शासकीय विभागों, सहकारी संस्थाओं व अन्य ऐसी संस्थाएं जिनका प्रशासकीय/वित्तीय नियंत्रण शासन में अंतर्निहित है, की अप्रयुक्त भूमि को नियमानुसार चिन्हांकित करना।

(2) निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थल हेतु अन्य विभागों की भूमि का हस्तांतरण की प्रकिया जटिल व लम्बी हो सकती है, इसलिए भूमि का चिन्हांकन कर तत्काल इस भूमि का उपयोग अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु आरम्भ किया जाये।

(3) निराश्रित/बेसहारा गोवंश के अस्थायी आश्रय हेतु राजस्व विभाग की चारागाह की गोचर भूमि का उपयोग किया जा सकता है।

(4) यह भूमि राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के दृष्टिगत चारागाह की भूमि धारा–77(1)क के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की सुरक्षित श्रेणी में आती है, जिस पर न तो किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं और न ही ऐसी भूमि को ग्राम सभा द्वारा एमओयू के आधार पर किसी अन्य गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) आदि को प्रबंधन हेतु दिया जाना नियमानुकूल होगा।

(5) ऐसी भूमि पर ग्राम सभा द्वारा चारा प्रदान करने वाली वृक्ष प्रजातियों को रोपण किया जाता है अथवा पशुओं के पीने के लिए नलकूल व चरही आदि का निर्माण किया जा सकता है।

(6) किसी एनजीओ अथवा कारपोरेट घराने द्वारा सीएसआर के अंतर्गत ग्राम सभा को कोई सहयोग प्रदान किया जाता है अथवा ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद अपने व्यय पर नलकूप/चरही आदि की स्थापना की जा सकती है।

(7) इस भूमि के क्षेत्रफल के अधिकतम 10 प्रतिशत भाग पर ही अस्थायी अवस्थापना सृजन किया जा सकता है। शेष 90 प्रतिशत भाग खुला रहेगा जिसका उपयोग निराश्रित पशुओं के अतिरिक्त अन्य दुधारू पशुओं के विचरण हेतु पूर्व की भॉति यथावत किया जायेगा।

(8) अन्य विभागों की यदि भूमि उपलब्ध हो तो संबंधित जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर विभागीय अधिकारियों से अनापत्ति प्राप्त कर निराश्रित पशुओं के रखने हेतु उक्त भूमि का उपयोग प्रारम्भ कर सकते हैं।

(9) यदि कोई स्वयंसेवी संस्था पशु आश्रय स्थल स्थापित करने हेतु लीज पर भूमि की मांग करें तो सरकारी भूमि लीज पर नहीं दी जायेगी किन्तु संस्था द्वारा आश्रय स्थल के पशुओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

(10) प्रत्येक जनपद में ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद, चीनी मिलों, शैक्षणिक संस्थाओं, पीसीएफ, पीसीडीएफ आदि सहकारी संस्थायें तथा केन्द्र सरकार के बन्द पड़े

प्रतिष्ठानों/अप्रयुक्त प्रतिष्ठानों में यथास्थिति अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल अथवा चारा/भूसा के रक्षण हेतु फॉडर बैंक (fodder Bank) हेतु इस भूमि/परिसर को उक्त विभाग/संस्था के जनपद स्तरीय अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त कर उपयोग किया जाना। इस भूमि का सत्व (title) का परिवर्तन न हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व, जिला प्रशासन का होगा।

(11) पूर्व में स्थापित कामधेनु, मिनी कामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु योजना के अधीन, निजी लाभार्थियों को, अवस्थापना हेतु शासन द्वारा अनुदानित व वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इन स्थानों को चिन्हांकन कर निजी लाभार्थियों के सहयोग से व भविष्य में वित्तीय संस्थाओं के साथ विधिक कठिनाई न हो, इसके दृष्टिगत इन स्थलों का उपयोग करना।

(12) पशुपालन, कृषि, उद्यान आदि विभागों के फील्ड स्तर पर उपलब्ध प्रक्षेत्र, गौशाला, गोसदन आदि की क्षमता में यथावश्यकता वृद्धि करते हुए अथवा इनकी पूर्ण/आंशिक भूमि को नियमानुसार व निहित प्रक्रियानुसार उपयोग करना।

(13) शासन द्वारा वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में उपलब्ध कराये गये गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का सदुपयोग करते हुए युद्धस्तर पर पक्के गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण करना।

(14) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के साथ नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से स्थापित व अक्रियाशील कॉजी हाउस, पिंजरापोल आदि की मरम्मत कराकर उन्हें क्रियाशील करना।

2.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल हेतु चिन्हांकित स्थानों को उपयोग योग्य बनाना

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल हेतु चिन्हांकित स्थलों को कृषि योग्य (विशेषतः चारा उगाने योग्य) बनाना। इस हेतु कृषि, ग्राम विकास, उद्यान विभाग आदि विभागों के माध्यम/सहयोग एवं यथा उपलब्धता वित्त पोषण से कार्य कराना।

(2) भूमि के समतलीकरण आदि के कार्य ग्राम्य विकास/पंचायतीराज एवं अन्य सुसंगत विभागों के माध्यम/सहयोग एवं यथा उपलब्धता वित्त पोषण से कराया जाना।

(3) जल संरक्षण व तालाब के निर्माण के कार्य ग्राम विकास/पंचायतीराज विभाग के माध्यम से कराना।

(4) वृक्षारोपण वन विभाग, ग्राम विकास, नगर विकास विभाग, ग्राम विकास एवं अन्य सुसंगत विभागों के माध्यम/सहयोग एवं यथाउपलब्धता वित्त पोषण से कराया जाना। इन वृक्षों के रख–रखाव हेतु वाचर (watcher) आदि कार्मिक की तैनाती यथा मानक करना।

2.4 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर पेयजल की व्यवस्था

उपयोग हेतु चिन्हांकित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था जिलाधिकारी के निर्देशन में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत स्तर पर समिति द्वारा किया जायेगा। पेयजल हेतु हैण्डपम्प स्थापित कर एवं/अथवा, सौर ऊर्जा आधारित पेयजल अवस्थापना का सृजन किया जा सकता है।

2.5 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर प्रकाश की व्यवस्था

उपयोग हेतु चिन्हांकित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था जिलाधिकारी के निर्देशन में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत स्तर पर समिति द्वारा किया जायेगा। प्रकाश हेतु सौर

ऊर्जा अथवा/एवं यथास्थिति नियमित विद्युत संयोजन के आधार पर रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है।

2.6 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर चारे की व्यवस्था (निम्नानुसार मार्गनिर्देश संलग्नक–1 पर व्यवस्थित है)

(1) चारे की प्रजाति व उसके उत्पादन हेतु आवश्यक भूमि।

(2) प्रति पशु चारे व भूसे की व्यवस्था विषयक आवश्यकता का मानकीकरण।

(3) प्रस्तर–2.2 (8) के अनुसार फॉडर बैंक (fodder Bank) की स्थापना करना।

(4) जनपद स्थित कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं अन्य विभागों द्वारा उत्पादित भूसा/चारा या कृषकों की फसल अवशेष (crop residue) फॉडर बैंक (fodder Bank) में प्राप्त करने हेतु व्यवस्था करना।

(5) भूसा एवं चारा की उपलब्धता करने हेतु तहसील स्तरीय राजस्व प्रशासन के माध्यम से एवं कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं अन्य विभागों के सहयोग से भूसा एवं चारा उपलब्धता हेतु भूमि का चिन्हांकन करते हुए स्थानीय जलवायु, ऋतु के अनुसार दिये गये मार्ग निर्देशों के अनुरूप चारे की उपलब्धता।

2.7 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस चौकी, पुलिस थाना को उत्तरदायी बनाया जाये। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध ग्राम स्तरीय स्थायी चौकीदार को अतिरिक्त धनराशि पर भी कार्य देने पर विचार जिला स्तर पर समिति द्वारा किया जा सकता है।

(2) गोवंश को खिलाना, गोबर एकत्र करना, दूध निकालना, साफ सफाई व्यवस्था आदि कार्यों हेतु श्रमिकों की यथावश्यकता केवल संदर्भित ग्राम/निकाय के स्थानीय निवासी को अंशकालिक श्रमिक के रूप में तैनाती जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इसमें ग्राम स्तर पर अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन में सम्मिलित अंशकालिक रूप से कार्यरत कार्मिक (यथा–रसोइया आदि) का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन को प्रतिमाह न्यूनतम दो हजार रूपये पारिश्रमिक के आधार पर तैनात करने हेतु जिला स्तर पर समिति निर्णय कर सकती है।

(3) श्रमिक की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर गोवंश में रूचि रखने वाले स्वैच्छिक संस्थायें, अराजनैतिक संगठन/संस्थायें, धर्मार्थ कार्य में जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से श्रमिक की तैनाती व वित्त पोषण कराना।

2.8 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर पशु चिकित्सा व्यवस्था

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं की चिकित्सा संबंधी सेवायें स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान, बन्ध्याकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं मृत पशुओं का शव परीक्षण आदि कार्य पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी एवं सुसंगत विभागों के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किया जाना।

(2) गोवंश में रूचि रखने वाली स्वैच्छिक संस्थायें, अराजनैतिक संगठन/संस्थायें, धर्मार्थ कार्य में जुड़ी संस्थाओं आदि के माध्यम से भी पशु चिकित्साधिकारियों के संरक्षण में माइनर वेटनरी सर्विसेज (minor veterinary services) उपलब्ध कराना।

(3) बड़े नर गोवंश को बन्ध्याकरण करते समय मानव सुरक्षा के दृष्टिगत ट्रैंक्विलाइजर गन (tranquilizer gun) की व्यवस्था पशुपालन विभाग द्वारा व्यवस्था की जाये। अंतरिम रूप से बड़े नर गोवंशों को नियंत्रित करते हेतु मण्डल/जिले स्तर पर वन विभाग के पास उपलब्ध संसाधान (ट्रैंक्विलाइजर गन के प्रयोग हेतु) एवं स्थानीय निवासियों/ग्रामवासियों/सामाजिक संगठन आदि का सहयोग भी लिया जाये।

3. <u>अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की संचालन व्यवस्था</u>

3.1 पशुओं का विवरण

विवरण/सुझाव	गर्मी	सर्दी
पशुओं का आश्रय	पशुओं को रात में खुले में बाहर रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि शेड बहुत गर्म होगा।	पशु रात के समय शेड के अंदर रखे जाना चाहिए।
चारा व्यवस्था (स्थानीय समय अनुसार)		
सुबह	सुबह 6 बजे शेड के अंदर	सुबह 7 बजे शेड के बाहर
शाम	शाम 4 बजे शेड के बाहर	शाम 5 बजे शेड के अंदर
गाय का गोबर हटाना	सुबह 8 से 10 बजे तक	सुबह 9 से 11 बजे तक
बाहरी क्षेत्र की छफाई	सुबह 8 से 10 बजे तक	शाम 5 से 7 बजे तक
शेड की सफाई	शाम 5 से 7 बजे तक	सुबह 9 से 11 बजे तक
ताजे पानी की उपलब्धता	शेड के अंदर और बाहर दोनो	शेड के अंदर और बाहर दोनो

3.2 चारा व पानी (संलग्नक–1)

(1) पशुओं के उन्नत स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार दिया जाना, जिसमें कम से कम 10% फाइबर युक्त भी सम्मिलित हो यथासंभव कृषि व अन्य अनुषांगिक विभागों के माध्यम से प्राप्त किया जाना। उक्त के अतिरिक्त यथा उपलब्धता साइलेज उपलब्धता के लिए भी कार्य किया जाना।

(2) पशुओं को 90% चारा जैसे घास, हरा चारा, सूखी घास व भूसा और 10% सब्जियों के अवशेष स्थानीय उपलब्धता व वित्त पोषण के आधार पर दिया जाना। गोवंश को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए गुड़/राब (मोलेसेस) को आहार में यथावश्यकता व यथा उपलब्धता एवं वित्त पोषण के आधार पर आहार में जोड़ा जाना।

(3) सभी पशुओं के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना, जिससे कि वे एक ही समय चारा खाने में आपसी प्रतिस्पर्धा/लड़ाई न हो सके।

3.3 आवास और पर्यावरण

(1) पशुओं को यथासंभव एक स्वच्छ वातावरण में कम घनत्व पर छोटे–छोटे समानान्तर उम्र–समूहों (age-groups) में रखा जाना।

(2) चलने में असमर्थ तथा अशक्त गोवंश हेतु पुआल का बिछाव, यथासंभव, प्रदान किया जाना।

(3) गोवंश को रखने वाले स्थान पर पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अत्यधिक तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किया जाना। अच्छी वायु गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना।

(4) पशुओं के लिए यथा संभव न्यूनतम स्थान निम्न प्रकार होना चाहिए:–

पशु का प्रकार	प्रति पशु फ्लोर स्पेश वर्ग मी0 में	
	कवर्ड स्पेश	ओपेन स्पेश
8 सप्ताह से कम उम्र के बछड़े	1.0	2.0
8 सप्ताह से अधिक उम्र के बछड़े	2.0	4.0
बछिया	2.0	4.0–5.0
वयस्क भैंसें	4.0	8.0
वयस्क गायें	3.5	7.0
ब्यांत के करीब पहुंची गायें	12.0	20–25
सांड	12.0	120.0
बैल	3.5	7.0

3.4 फर्श

यदि गो आश्रय स्थलों पर पक्की फर्श बनी है तो फर्श पूरी तरह से सपाट, फिसलनयुक्त, कठोर या बहुत खुरदरे न हो।

3.5 स्वास्थ्य परीक्षण व चिकित्सा

(1) गोवंशे प्रजाति की संकामक बीमारियों के सापेक्ष नियमित टीकाकरण कराना।
(2) परजीवी नियंत्रण कार्यकम निरन्तर चलाना।
(3) पशुओं को हर 06 महीने में खुरपका–मुँहपका रोग (एफएमडी) के खिलाफ टीका लगाना।
(4) 90 दिनों की उम्र के प्रत्येक पशु बछड़े/बछिया को रेबीज का टीका लगाना।
(5) बाह्य और आंतरिक परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए एक वर्ष में कम से कम 03 बार कृमिनाशक दवापान कार्यकम चलाना।
(6) यह सुनिश्चित करना कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर रखे हुए पशुओं के मध्य प्रजनन न हो।

3.6 बछड़े/बछिया

(1) कम से कम 6 महीने की आयु तक गोवत्सों को माताओं से अलग नहीं करना।
(2) गोवत्सों को कम से कम 6 महीने तक बिस्तर के साथ साफ, शुष्क परिस्थितियों में रखना। वीनिंग प्रक्रिया धीरे–धीरे कराना।
(3) अनियंत्रित पशु प्रजनन रोकने हेतु नर बछड़ों का दर्द रहित तरीके से बन्ध्याकरण कराना।

3.7 पशु की मृत्यु

(1) गोवंश की मृत्यु की दशा में वर्तमान में विद्यमान उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अनुसार व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में की जाये व ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के अनुसार व्यवस्था की जाये। नगरीय क्षेत्रों में/ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के शव परिवहन व निस्तारण हेतु व्यवस्था करना, इन्सीनिरेटर आदि स्थापित करने विषयक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (solid waste management) म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट–2016 के अंतर्गत पंचायतीराज विभाग व नगर विकास विभाग योजना बनाते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन 02 सप्ताह में प्राप्त करेंगे।

(2) पशुओं के अंतिम संस्कार हेतु उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा–396 के अनुसार व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में करना।

(3) स्वभाविक/प्राकृतिक मृत्यु पर पंचनामा के आधार पर शव का निस्तारण किया जाना परन्तु किसी संदेह की आवस्था में शव बिच्छेदन (पोस्टमार्टम) अनिवार्य।

(4) अंतिम संस्कार हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री का वित्त पोषण यथावश्यकता ग्राम्य विकास, पंचायतीराज विभागों आदि से कराना।

(6) सामग्री/वित्त पोषण अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, धर्मार्थ कार्य में जुड़ी संस्थाओं के सहयोग से करना।

3.8 श्रमिकों की व्यवस्था

प्रस्तर 2.7 के अनुसार।

3.9 रिकार्ड कीपिंग/अभिलेखों का रखरखाव

(1) आश्रय स्थल पर रखे पशुओं/गोवंश के विवरण का एक रजिस्टर रखा जाना।

(2) उपचार किए गए समस्त गोवंश पशुओं का अभिलेखीकरण किया जाना। उक्त के साथ यथासंभव स्वस्थ पशुओं के नियमित जांच का भी अभिलेख रखना।

(3) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर मृत गोवंश तथा अन्य स्थानों/व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तांतरित पशुओं विषयक अभिलेख अनिवार्य रूप से रखना।

(4) गोसेवा आयोग के अधिनियम के अन्तर्गत हस्तांतरित गोवंश विषयक विशेष सजगता बरतना।

(5) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में सूखे व हरे चारे का स्टाक रजिस्टर रखना।

(6) गोवंश आश्रय स्थलों में प्राप्त होने वाली सीधी धनराशि विषयक/रसीद बुक/बैंक पासबुक आदि रखना।

(7) यदि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर जनरेटर, एम्बुलेन्स वाहन आदि की व्यवस्था है तो उससे संबन्धित लाग–बुक अंकित में विवरण अद्यतन रखना।

4. <u>अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलो को आर्थिक/वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (self-sustainable) बनाया जाना</u>

(1) पंचगब्य आधारित औषधियों के प्रयोग हेतु जनमानस को प्रेरित किया जाना तथा कम खर्च में विभिन्न बीमारियों से छुटकारा दिलाना चाहिए। इसमें कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं, धर्मार्थ कार्य से जुड़ी संस्थाओं, अराजनैतिक संस्थाओं आदि से सम्पर्क कर उनसे प्रौद्योगिकी प्राप्त करना।

संलग्नक–2

(2) गोबर व गोमूत्र से जीवामृत का उत्पादन व विपणन कर उससे राजस्व प्राप्त करना। संलग्नक–3

(3) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों तथा ग्राम पंचायत के अन्य पशु पालकों के माध्यम से सामूहिक गोबर गैस प्लांट स्थापित करना व उससे प्राप्त होने वाली कार्बनडाई आक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रोजन गैस का अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ पृथक–पृथक कर विपणन योग्य उत्पादों का (यथा–सीएनजी, शुष्क बर्फ (ड्राई आइस) का उत्पादन कर राजस्व प्राप्त करना।

(4) जड़ी बूटियों एवं गौमूत्र से हर्बल कीटनाशक औषधियों का उत्पादन।

(5) गोबर लॉग का उत्पादन करना। ग्राम स्थित अंत्येष्ठि स्थलों पर गोबर लॉग का प्रयोग अनिवार्य कर राजस्व प्राप्त करना।

(6) गोबर गमलों का उत्पादन करते हुए वन विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य विभागों की नर्सरियों में प्लास्टिक के स्थान पर गोबर गमलों का प्रयोग कराते हुए राजस्व प्राप्त करना।

(7) गोबर कण्डों का उपयोग अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत में कार्यरत ईंट भट्ठों में कराते हुए राजस्व प्राप्त करना।

(8) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश के गोबर, गोमूत्र से निर्मित उत्पादों एवं पंचगव्य उत्पादों हेतु ग्रामीण स्तर पर किसानों/पशुपालकों को प्रशिक्षण देकर बिना दूध के गोवंश (dry cow) को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाना।

(9) ग्रामीण स्तर पर किसानों/पशुपालकों को प्रशिक्षण देते हुए गोवंशों (अनुपयोगी सम्मिलित करने) के आधार पर जीरो बजट एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना। इस हेतु स्थानीय स्तर पर गोवंश के गोबर एवं गोमूत्र के उत्पाद के प्रयोग को बढ़ावा देना। इस हेतु गो–विज्ञान केन्द्र, सेवाधाम, देवलापुर, नागपुर (महाराष्ट्र) का मॉडल अपनाने पर विचार।

(10) ग्राम स्तर पर छोटे–छोटे निराश्रित गोवंश की गोशाला/आश्रय स्थल बनाया जाना तथा उपयोगी बनाया जाना। नगर निगमों में आर्थिक रूप से संबल (economic viable) गोशालाओं की स्थापना की जानी तथा इस कार्य में विशेषज्ञता रखने वाली संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाय।

(11) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति परामर्शी मार्गनिर्देश में दर्शाये गये बिन्दुओं का अध्ययन कर यथावश्यकता/उपयुक्तता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

5. <u>गोवंश को किसानों/पशुपालकों को सुपुर्द किया जाना</u>

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल से यदि गोवंश किसानों/पशुपालकों को दिये जाने की दशा में उनसे भू अभिलेख की खतौनी, पहचान पत्र, सरपंच/सभासद से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना जिससे स्पष्ट हो कि इन्हें पशु की आवश्यकता है तथा वह इस पशु को निराश्रित/बेसहारा नहीं छोड़ेगा से संबंधित रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।

(2) ग्राम स्तर पर निराश्रित/बेसहारा गोवंश को अपनाए जाने हेतु अभियान चलाकर जन–मानस को प्रेरित किया जाना तथा उनका ध्यान निराश्रित/बेसहारा गोवंश के कारण कृषि को होने वाली हानि तथा मार्ग दुर्घाटनाओं की ओर आकृष्ट करते हुए जागरूक/प्रेरित किया जाय।

(2) पशु परिवहन नियम–1978 एवं अधिसूचना, 2001 में उपलब्ध प्राविधानों के अंतर्गत ही पशु का परिवहन सुनिश्चित किया जाये तथा जिस किसान/पशुपालक को गोवंश पालन–पोषण हेतु दिये जा रहा है, उसकी उस पशु की साथ फोटो भी लिया जाना तथा अभिलेखीकरण किया जाना।

(3) निराश्रित/बेसहारा गोवंश को बिना किसी कठिनाई/पीड़ा के पकड़े जाने हेतु कैटिल कैचर की व्यवस्था किया जाना।

6. अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं के भरण–पोषण हेतु वित्त पोषण

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों को प्रस्तर–4 अनुसार आर्थिक/वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने का प्रयास किया जाये।

(2) पशुओं के भरण–पोषण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत निधि/क्षेत्र पंचायत निधि/जिला पंचायत निधि में उपलब्ध धनराशि से भरण–पोषण अनुदान करने हेतु विषयक निर्णय यथावश्यक अधिनियम, नियम, उपविधि शासनादेश आदि में संशोधन पंचायतीराज विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए 02 सप्ताह में किया जायेगा। इसी प्रकार का संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नगर विकास विभाग द्वारा भी 02 सप्ताह में सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों को संचालित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी की सहायता प्राप्त करने की दशा में उन्हें भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नहीं किया जायेगा। मात्र usufruct rights के अंतर्गत संचालन में सहयोग लिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप संलग्नक एम.ओ.यू. को आधार मानते हुए स्थानीय स्तर पर यथावश्यक संशोधन करते हुए जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में थर्ड पार्टी द्वारा न तो भूमि पर कब्जा किया जायेगा और न ही भूमि के सत्व (title) विषयक कोई लाभ प्राप्त किया जायेगा।

(3) निराश्रित/बेसहारा गोवंश जैसाकि प्रस्तर–1 में परिभाषित है, के भरण–पोषण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति के स्तर पर सुनिश्चित किया जाना।

(4) गोसेवा अधिनियम के अंतर्गत गोसेवा आयोग के साथ पंजीकृत गोशालाओं को मण्डी सेस के माध्यम से भरण–पोषण हेतु दिये जा रहे अनुदान प्रदान करने की प्रकिया शासनादेश संख्या–2557/सैंतीस–2–2017–5(16)/2017, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के अनुसार यथावत रहेगी।

(5) जिलाधिकारी स्तर पर सरकारी कार्मिकों, आम नागरिकों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सामाजिक कार्य/धर्मार्थ कार्य से जुड़ी संस्थाओं आदि द्वारा दिये जाने वाले दान हेतु कारपस फण्ड (corpus fund) स्थापित किया जाय।

(7) शासन स्तर से प्राप्त होने वाली राजस्व अथवा पूँजीगत मद के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि अथवा भरण–पोषण मद में प्राप्त होने वाली धनराशि का लेखा–जोखा पृथक–पृथक हो।

(8) कार्पस फण्ड का आडिट स्थानीय लेखा परीक्षा से कराकर रिपोर्ट नोडल विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाना।

7. कृषक/पशुपालक द्वारा स्वामित्व के पशुओं को निराश्रित/बेसहारा के रूप में छोड़ने पर रोक लगाने हेतु कार्यवाही

(1) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–255 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना।

(2) उत्तर प्रदेश पंचायतराज मैनुअल के अध्याय–4 (ग्राम पंचायत के अधिकर, कर्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन) के अंतर्गत धारा–15 (ग्राम पंचायत के कृत्य) की उपधारा (तेइस) "चिकित्सा और

स्वच्छता''–(घ) ''छुट्टा पशु और पशुधन के विरूद्ध निवारक कार्यवाही'' के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही करना।

(3) उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम की धारा–37 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज मैनुवल के नियम–220 एवं 224 के अंतर्गत यथावश्यक कार्यवाही करना।

(4) प्रचलित व्यवस्था के साथ पशु के पूर्व स्वामियों द्वारा पशुओं को निराश्रित/बेसहारा छोड़ने पर पुलिस एक्ट में जो प्राविधान हैं, उसके अनुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।

(5) पंचायतीराज विभाग द्वारा 02.08.2018 को निर्गत शासनादेश में छोड़े गये पशुओं के पूर्व स्वामियों पर जुर्माने/आर्थिक दण्ड की व्यवस्था है। नगर विकास विभाग भी इसी प्रकार अपने नियम, अधिनियम, का परीक्षण करते हुए आर्थिक दण्ड विषयक व्यवस्था की जायेगी साथ ही मॉडल बाइलॉज (आदर्श उपविधि) भी बनायी जायेगी, जिससे नगरीय क्षेत्रों में व्यावसायिक डेरी संचालन कार्यकर्ताओं को प्रभावी रूप से विनियमित किया जायेगा।

28.1.19

संलग्नक–1

सिंचाई सुविधायुक्त क्षेत्रों के लिए बहुवर्षीय चारा फसल आधारित वर्ष पर्यन्त हरा चारा उत्पादन पद्धति
फसल चक्रः हाईब्रिड नैपियर+ (लोबिया–बरसीम+सरसों) फसल अवधि : 3–4 वर्ष

चारा फसल का नाम एवं प्रजाति	बुवाई/रोपाई का समय	बीज दर एवं बुवाई/रोपाई हेतु दूरी	सिंचाई की संख्या	पोषक तत्व प्रबन्धन	हरा चारा कटाई का समय	हरा चारा उत्पादन (कु0/हे0/वर्ष)
1	2	3	4	5	6	
हाईब्रिड नैपियरः– IGFRI-6, IGFRI-10, NB-21	15 फरवरी से जुलाई	20000 Rooted Slips को 100 X50 सेमी0 की दूरी पर रोपाई करें।	गर्मी में 8–9 सिंचाई करें	(1) बेसल ड्रेसिंग– 50+50+50 किग्रा0 NPK प्रति हे0 (2) टाप ड्रेसिंग– 50+50+50+50 किग्रा0 N प्रति हे0	प्रथम कटाई रोपाई के 75–80 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–40 दिन बाद करें।	2000.00
लोबियाः– ई0सी0–4216, कोहिनूर, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–1,	अप्रैल–मई (जब बरसीम फसल की कटाई समाप्त हो जायें)	20–25 किग्रा0 हाईब्रिड नैपियर की दो पंक्तियों की बीच लोबिया की दो पंक्ति लगायें	उपरोक्तानुसार	आवश्यकता नही पडती है	बुवाई के 60–65 दिन बाद कटाई करें	
बरसीमः– मेसकावी, बरदान, बुन्देल बरसीम–2, बुन्देल बरसीम–2 + सरसोंः– चाईनीज कैबेज, जापानीज रेपसीड	अक्टूबर	25 किग्रा0 बरसीम + 1.5–2.0 किग्रा0 सरसों की बुवाई पलेवा किये गये खेत में छिटकवा विधि से करें	जाडें में 8–10 दिन के अन्तराल पर तथा गर्मी में 12–15 दिन के अन्तराल पर कुल 12–15 सिंचाई करें।	बेसल ड्रेसिंग– 20+80 किग्रा0 NP प्रति हे0	प्रथम कटाई बुवाई के 50–55 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–35 दिन बाद करें।	

सिंचाई सुविधायुक्त क्षेत्रों के लिए एकवर्षीय चारा फसल आधारित वर्ष पर्यन्त हरा चारा उत्पादन पद्धति
फसल चक्र : ज्वार+लोबिया – बरसीम+सरसों – मक्का+लोबिया फसल अवधि :01 वर्ष

चारा फसल का नाम एवं प्रजाति	बुवाई/रोपाई का समय	बीज दर एवं बुवाई/रोपाई हेतु दूरी	सिंचाई की संख्या	पोषक तत्व प्रबन्धन	हरा चारा कटाई का समय	हरा चारा उत्पादन (कु0/हे0/वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7
ज्वारः– (1) एकल कटाई वाली ज्वार– पी0सी0–6, पी0सी0–9, एम0पी0चरी (1) बहु कटाई वाली ज्वार– एम0पी0चरीए SSG-59-3 +	जून से जुलाई	20–25 किग्रा0 ज्वार + 25–30 किग्रा0 लोबिया को 25 सेमी0 की पंक्ति दूरी पर 2:2 के अनुपात में बुवाई करें। (ज्वार की दो पंक्तियों के मध्य	आवश्यकतानुसार	बेसल ड्रेसिंग– 60+45 किग्रा0 NP प्रति हे0	प्रथम कटाई रोपाई के 55–60 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 35–40 दिन बाद करें।	1800– 1900

लोबियाः– ई0सी0–4216, कोहिनूर, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–1		लोबिया की दो पंक्ति)				
बरसीमः– मेसकावी, बरदान, बुन्देल बरसीम–2, बुन्देल बरसीम–2 + सरसोंः– चाईनीज कैबेज, जापानीज रेपसीड	बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह तक करें।	25 किग्रा0 बरसीम + 1.5–2.0 किग्रा0 सरसों की बुवाई 20X20 सेमी0 की दूरी पर अथवा पलेवा किये गये खेत में छिटकवा विधि से करें	जाडें में 8–10 दिन के अन्तराल पर तथा गर्मी में 12–15 दिन के अन्तराल पर कुल 12–15 सिंचाई करें।	बेसल ड्रेसिंग– 20+80 किग्रा0 NP प्रति हे0	प्रथम कटाई बुवाई के 50–55 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–35 दिन बाद करें।	
मक्काः– अफ्रीकन टाल, गंगा सफेद–2, जे0–1006, जवाहर संकुल, विजय + लोबियाः– ई0सी0–4216,कोहिनूर, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–1	मार्च से अप्रैल एवं जून से जुलाई	25–30 किग्रा0 मक्का + 25–30 किग्रा0 लोबिया को 25 सेमी0 की पंक्ति दूरी पर 2:2 के अनुपात में (ज्वार की दो पंक्तियों के मध्य लोबिया की दो पंक्ति)	8–10 दिन के अन्तराल पर कुल 7–8 सिंचाई करें।	(1) बेसल ड्रेसिंग– 60+30 किग्रा0 NP प्रति हे0 (2) टाप ड्रेसिंग– 30 किग्रा0N प्रति हे0 बुवाई के 30 दिन बाद	कटाई बुवाई के 60–75 दिन बाद करें	

वर्षा–आधारित क्षेत्रों के लिए वर्ष पर्यन्त हरा चारा उत्पादन पद्धति

फसल चक्रः पेनिसेटम ट्राई स्पेसिफिक हाईब्रिड (TSH)+बाजरा (दो–कटाई वाली फसल अवधि–3–4 वर्ष

चारा फसल का नाम एवं प्रजाति	बुवाई/रोपाई का समय	बीज दर एवं बुवाई/रोपाई हेतु दूरी	सिंचाई की संख्या	पोषक तत्व प्रबन्धन	हरा चारा कटाई का समय	हरा चारा उत्पादन (कु0/हे0/वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7
पेनिसेटम ट्राई स्पेसिफिक हाईब्रिड (TSH)	जुलाई–अगस्त एवं मध्य फरवरी से मार्च	10000–12000 Rooted Slips को 75 सेमी की दूरी पर द्वि–पंक्ति विधि (Paired row) से 2.20 मी0 की दूरी पर	बरसात के अनुसार	(1) बेसल ड्रेसिंग– 10 टन गोबर की सडी खाद एवं 40+50+30 किग्रा0 NPK प्रति हे0 की दर से (2) टाप ड्रेसिंग– 30 किग्रा0 N प्रति हे0 बुवाई के 30 दिन बाद	प्रथम कटाई रोपाई के 75–80 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–40 दिन बाद करें।	800– 900
बाजरा (दो कटाई वाली):– राज, बाजरा चरी–2,	जून से जुलाई	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.2 मी0 एवं पौध से पौध की दूरी 30 सेमी0 पर	बरसात के अनुसार	(1) बेसल ड्रेसिंग– 30+30 किग्रा0 NP प्रति हे0	बुवाई के 40–50 दिन बाद प्रथम कटाई करें तथा दूसरी कटाई	

AVKB–19		बुवाई करें।		(2) टाप ड्रेसिंग– 30 किग्रा0 N प्रति हे0 बुवाई के 30–35 दिन बाद एवं 30 किग्रा0 प्रथम कटाई के बाद प्रयोग करें।	40–45 दिन के बाद पुनः करें।	

उद्यान–चरागाह पद्धति द्वारा हरा चारा उत्पादन

फसल चक्र : आंवला/अमरूद/बेर/आम/इमली+(गिनी घास/नैपियर हाईब्रिड (3)दशरथ घास(1)),
फसल अवधि : 4–5 वर्ष

चारा फसल का नाम एवं प्रजाति	बुवाई/रोपाई का समय	बीज दर एवं बुवाई/रोपाई हेतु दूरी	सिंचाई की संख्या	पोषक तत्व प्रबन्धन	हरा चारा कटाई का समय	हरा चारा उत्पादन (कु0/हे0/वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7
गिनी घास + दशरथ घास गिनी घास:– बुन्देल गिनी–1, 2 एवं 3, हैमिल, रिवसडेल, गल्टन + दशरथ घास	मध्य फरवरी से जुलाई तक	गिनी घास के Rooted Slips के साथ 5 किग्रा0/हे0 दशरथ घास के बीज को 3:1 अनुपात में मुख्य औद्यानिक फसल के दो पंक्तियों के मध्य बुवाई/रोपाई करें।	औद्यानिक फसलों की आवश्यकतानुसार	(1) बेसल ड्रेसिंग– 50+50+25 किग्रा0 NPK प्रति हे0 की दर से प्रयोग करें। (2) टाप ड्रेसिंग– 50 किग्रा0 N प्रति हे0 प्रत्येक कटाई के बाद प्रयोग करें।	प्रथम कटाई रोपाई के 70–75 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–40 दिन बाद करें।	1200–1500
नैपियर हाईब्रिड, दशरथ घास नैपियर हाईब्रिडः– IGFRI-6, IGFRI-10, NB-21 + दशरथ घास	मध्य फरवरी से जुलाई तक	नैपियर हाईब्रिड के Rooted Slips के साथ 5 किग्रा0/हे0 दशरथ घास के बीज को 3:1 अनुपात में मुख्य औद्यानिक फसल के दो पंक्तियों के मध्य बुवाई/रोपाई करें।	औद्यानिक फसलों की आवश्यकतानुसार	(1) बेसल ड्रेसिंग– 50+50+50 किग्रा0 NPK प्रति हे0 (2) टाप ड्रेसिंग– 50+50+50+50 किग्रा0 N प्रति हे0 प्रत्येक कटाई के बाद प्रयोग करें।	प्रथम कटाई रोपाई के 75–80 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–40 दिन बाद करें।	

वन–चरागाह पद्धति द्वारा हरा चारा उत्पादन
फसल चक : सुबबूल+TSH+(ज्वार्लोबिया) फसल अवधि–3–4 वर्ष

चारा फसल का नाम एवं प्रजाति	बुवाई / रोपाई का समय	बीज दर एवं बुवाई / रोपाई हेतु दूरी	सिंचाई की संख्या	पोषक तत्व प्रबन्धन	हरा चारा कटाई का समय	हरा चारा उत्पादन (कु0 / हे0 / वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7
सुबबूल +TSH +(ज्वार +लोबिया) TSH + सुबबूल–के0–8	जुलाई–अगस्त एवं मध्य फरवरी से मार्च	द्वि–पंक्ति विधि (**Paired row**) में 75 सेमी0 की दूरी पर **TSH** की रोपाई करें। **TSH** की पंक्ति से 50 सेमी0 की दूरी पर सुबबूल की तथा पुनः सुबबूल की पंक्ति से 50 सेमी की दूरी पर **TSH** की दूसरी द्वि–पंक्ति लगाये। इसके बाद 3.0 मी0 की दूरी छोडकर पुनः दूसरा सेट लगाये। इस पद्धति में **TSH** की 12000–15000 **Root Slips** / हे0 एवं 1.5–2.0 किग्रा0 / हे0 सुबबूल के बीज की आवश्यकता पडती है।	आवश्यक तानुसार	(1) बेसल ड्रेसिंग– 200 कु0 गोबर की खाद एवं 20+30+30 किग्रा0 NPK प्रति हे0 की दर से प्रयोग करें। (2) टाप ड्रेसिंग– 20 किग्रा0 N प्रति हे0 प्रत्येक कटाई के बाद प्रयोग करें।	प्रथम कटाई रोपाई के 75–80 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–40 दिन बाद करें।	500–600
ज्वार चारा:– एम0पी0चरी, पी0सी0–6 लोबिया:– ई0सी0–4216, कोहिनूर, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–1	जून–जुलाई	12–15 किग्रा0 ज्वार चारा बीज + 20–25 किग्रा0 लोबिया को 25 सेमी0 की पंक्ति दूरी पर दो सेट के मध्य बुवाई करें।	आवश्यक तानुसार	(1) बेसल ड्रेसिंग– 30+30 किग्रा0 NP प्रति हे0	कटाई बुवाई के 60–75 दिन बाद करें	

दो फसलीय मौसम के मध्य रिक्त समय (Lean Period) में हरा चारा उत्पादन

उपलब्ध रिक्त समय (Lean Period)

1. रबी फसल कटाई के बाद मई–जून (दो माह)
2. खरीफ फसल कटाई के बाद अक्टूबर–नवम्बर (दो माह)

फसलों का चयन–कम अवधि वाली चारा फसलों का चयन करें।

1–मई से जून (दो माह) हेतु फसल चक्र– मक्का+लोबिया *अथवा* बाजरा/ज्वार+लोबिया

2–अक्टूबर–नवम्बर (दो माह) हेतु फसल चक– सरसों *अथवा* शलजम / चुकन्दर

चारा फसल का नाम एवं प्रजाति	बुवाई/रोपाई का समय	बीज दर एवं बुवाई/रोपाई हेतु दूरी	सिंचाई की संख्या	पोषक तत्व प्रबन्धन	हरा चारा कटाई का समय	हरा चारा उत्पादन (कु0/हे0/वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7
मक्काः– अफ्रीकन टाल, गंगा सफेद–2, जे0–1006, जवाहर संकुल, विजय ज्वार चरीः– एम0पी0चरी, SSG-59-3, PC-6 बाजरा चरी :– राज, बाजरा चरी–2, AVKB–19 लोबियाः– ई0सी0–4216, कोहिनूर, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–1	अप्रैल–मई	25–30 किग्रा0 मक्का अथवा 5 किग्रा0 बाजरा अथवा 25–30 किग्रा0 ज्वार + 20–25 किग्रा0 लोबिया को प्रति हे0 की दर से 25–30 सेमी0 की पंक्ति दूरी पर 2:2 के अनुपात में बुवाई करें।	8–10 दिन के अन्तराल पर कुल 7–8 सिंचाई करें।	(1) बेसल ड्रेसिंग– 60+30 किग्रा0 NP प्रति हे0 (2) टाप ड्रेसिंग– 30 किग्रा0 N प्रति हे0 बुवाई के 30 दिन बाद	कटाई बुवाई के 60–75 दिन बाद करें	300–350
सरसोंः– वरदान, रोहिनी, पूसा बहार	सितम्बर–अक्टूबर	5–6 किग्रा0 बीज को 20–25 सेमी की पंक्ति दूरी पर बुवाई करें।	2–3 सिंचाई	बेसल ड्रेसिंग– 60+30+20 किग्रा0 NPK प्रति हे0	कटाई 50 प्रतिशत फूल आने पर करें।	
शलजमः– स्नोवाल, पूसा चन्द्रिमा, पर्पिल टाप	सितम्बर–अक्टूबर	5–6 किग्रा0 बीज प्रति हे0 की दर से 30X10 सेमी की दूरी पर मेडों पर बुवाई करें।	बुवाई के तुरन्त बाद एक हल्की सिंचाई एवं अन्य 15 दिन के अन्तराल पर	(1) बेसल ड्रेसिंग– 10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 60+30+30किग्रा0 NPK प्रति हे0 की दर से	कटाई 65–70 दिन बाद करें	
चुकन्दरः– भुभ्रा, कावेरी, **IISR Comp-1**	अक्टूबर	3–4 किग्रा प्रति हे0 मेडों पर 50 सेमी की दूरी पर	8–10 सिंचाई	बेसल ड्रेसिंग– 120+60+60 किग्रा0 NPK प्रति हे0	जडो के पूर्ण विकसित हो जाने पर (बुवाई से 120 दिन बाद)	

शर्करायुक्त फसलों से हरा चारा एक विकल्प के रूप में

चारा फसल का नाम एवं प्रजाति	बुवाई/रोपाई का समय	बीज दर एवं बुवाई/रोपाई हेतु दूरी	सिंचाई की संख्या	पोषक तत्व प्रबन्धन	कटाई का समय	उत्पादन (कु0/हे0)
1	2	3	4	5	6	7
गन्ना (अगोले के रूप में):– (1) अगेती प्रजातियॉ–को. जे.–64,कोशा,–8436, को. शा,–88230, को.लख. –94184 आदि (2) देर से पकने वाली प्रजातियॉ– को.शा,– 96275, को.शा,–97261, यू.पी–0097 (हृदय), यू.पी.–39 आदि	फरवरी–मार्च एवं अक्टूबर में	तीन आंख वाले 40000 टुकडे 90 सेमी की दूरी पर पंक्तियों में समतल खेत/मेडों पर बुवाई करें	5–6 सिंचाई	10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 300+100+200 किग्रा0 NPK प्रति हे0 प्रयोग करें। नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस एवं पोटाश की कुल मात्रा बुवाई के समय कूडों में तथा नत्रजन की शेष आधी मात्रा बुवाई के 80–90 दिन बाद टाप ड्रेसिंग करें।	अक्टूबर माह से	700–800 कु0/हे0 (33 प्रतिशत अगोले के रूप में हरा चारा)
शलजमः– स्नोबाल, पूसा चन्द्रिमा, पर्पिल टाप	सितम्बर–अक्टूबर	5–6 किग्रा0 बीज प्रति हे0 की दर से 30X10 सेमी की दूरी पर मेडों पर बुवाई करें।	बुवाई के तुरन्त बाद एक हल्की सिंचाई एवं अन्य 15 दिन के अन्तराल पर	(1) बेसल ड्रेसिंग– 10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 60+30+30किग्रा0 NPK प्रति हे0 की दर से	कटाई 65–70 दिन बाद करें	250–300 कु0/हे0
चुकन्दरः– शुभ्रा, कावेरी, **IISR Comp-1**	अक्टूबर का प्रथम सप्ताह	3–4 किग्रा प्रति हे0 मेडों पर 50 सेमी की दूरी पर	8–10	बेसल ड्रेसिंग– 10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 120+60+60 किग्रा0 NPK प्रति हे0	जडो के पूर्ण विकसित हो जाने पर (बुवाई से 120 दिन बाद)	250–300 कु0/हे0
गाजरः– पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदग्नि, नेन्टस, चेन्टने, सेले0–233 पायनियर हाइब्रिड	सितम्बर–नवम्बर	6.0–10.0 किग्रा0/हे0 समतल खेत/मेडों पर 20 X 10 सेमी0 की दूरी पर	बुवाई के तुरन्त बाद एक सिंचाई एवं अंकुरण के बाद प्रत्येक सप्ताह	बेसल ड्रेसिंग– 10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 40+20+20 किग्रा0 NPK प्रति हे0	जडो के ऊपरी सिरा का व्यास 2. 5 से 3.5 सेमी0 विकसित हो जाने पर	250–300 कु0/हे0
शकरकन्दः– (1) सफेद प्रजातियॉ–**V-2, V-8, V-12**, पूसा सफेद (2) लाल प्रजातियॉ– पूसा सुनहरी, पूसा लाल, **V-6**	मार्च या जून–जुलाई	4.0–5.0 कु0/हे0 कन्द (Root) या 40000–50000 लतायें/हे0 मेडों पर 60 X 30 सेमी0 की दूरी पर	आवश्यक अनुसार	बेसल ड्रेसिंग–10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 35+20+110 किग्रा0 NPK प्रतिहे0 टाप ड्रेसिंग–बुवाई के 60–75 दिन बाद 35 किग्रा0 N/हे0 मेडो पर मिटटी चढाते समय	कटाई 105–110 दिन बाद करें	250–300 कु0/हे0

संलग्नकः–2

पंचगव्य

गाय से उत्पन्न प्रत्येक गौजन्य पदार्थ एक औषधि है। गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से पंचगव्य बनाया जाता है। गाय का दूध स्वादिष्ट ठण्डा, कोमल, घी वाला, गाढ़ा, चिकना लिपटने वाला, भारी ढीला और स्वच्छ होता है। गाय का दूध अच्छा मीठा, वातपित्तनाशक व तत्काल वीर्य उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार गाय का दूध जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला सर्वश्रेष्ठ रसायन है। गाय के दूध से बना दही शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। गाय का घी बुद्धि, कान्ति, स्मरण शक्ति को बढाने वाला, बल देने वाला, शुद्धि करने वाला, गैस मिटाने वाला, थकावट मिटाने वाला। गाय का घी अमृत के समान है जो जहर का नाश करने वाला व नेत्रों की ज्योति बढाने वाला होता है।

गोमूत्र का महत्व चरक संहिता आदि आयुर्वेद के ग्रन्थों में गोमूत्र की बड़ी महिमा बताई है। गोमूत्र तीता, तीखा, गरम, खारा, कड़वा, और कफ मिटाने वाला है। हल्का अग्नि बढ़ाने वाला, बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, पित्त, कफ और वायु को दूर करने वाला होता है। त्वचा रोग, वायु रोग, मुख रोग, अमावत पेट के दर्द और कुष्ठ का नाशक है। खांसी, दमा, पीलिया, रक्त की कमी को गोमूत्र देर करता है। मात्र गोमूत्र पीने से खुजली, गुदा का दर्द, पेट के कीड़े, पीलिया आदि रोगों का शमन होता है। गोबर का महत्व गोबर का सबसे बड़ा गुण कीटाणु नाशक है। इसमें हर प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता है। इसलिए गावों में आज भी शुभ कार्य करने से पूर्व गोबर से लेपा जाता है। इससे पवित्रता व स्वच्छता दोनों बनी रहती है। गोबर हैजे, प्लेग, कुष्ठ व अतिसार रोगों में लाभप्रद है।

पंचगव्य एक औषधि है। गाय के गोबर का रस, दही का खट्टा पानी, दूध, घी और गोमूत्र इन सभी चीजों को बराबर मात्रा में लेकर बनाई गई औषधि प्रयोग करने से विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है ऐसा पाया गया है।

जीवामृत

किसान भाईयो जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है। जिसे गोबर के साथ पानी मे कई और पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है। जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह पौधों की विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा करता है तथा पौधों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है जिससे पौधे स्वस्थ बने रहते हैं तथा फसल से बहुत ही अच्छी पैदावार मिलती है। जीवामृत को किसान भाई दो रूपों में बना सकते है।

1 तरल जीवामृत

तरल जीवामृत बनाने की विधि

किसान भाईयो तरल जीवामृत बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है।

1– देशी गाय का 10 किलो गोबर (देशी बैल या गाय का)

2– 10 लीटर गौमूत्र (देशी बैल या गाय का)

3– पुराना सड़ा हुआ गुड़ 1 किलो (नया गुड़ भी ले सकते है) अगर गुड़ न मिले तो 4 लीटर गन्ने का रस भी प्रयोग कर सकते है।

4– किसी भी प्रकार की दाल का 1 किलो आटा (मूंग, उर्द, अरहर, चना आदि का आटा)

5– बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो इसे सजीव मिट्टी भी कहते है।अगर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी न मिले तो ऐसे खेत की मिट्टी प्रयोग की जा सकती है जिसमें कीटनाशक न डाले गए हों।

6– 200 लीटर पानी

7– एक बड़ा पात्र (ड्रम आदि)

ये सब सामग्री इकट्ठा करके सबसे पहले 10 किलोग्राम देशी गाय का गोबर, 10 लीटर देशी गौमूत्र, 1 किलोग्राम पुराना सड़ा हुआ गुड़ या 4 लीटर गन्ने का रस, 1 किलोग्राम किसी भी दाल का आटा, 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी एवं 200 लीटर पानी को एक मिट्टी के मटके या प्लास्टिक के ड्रम में डालकर किसी डंडे की सहायता से इस मिश्रण को अच्छी तरह हिलाये जिससे ये पूरी तरह से मिक्स हो जाये। अब इस मटके या ड्रम को ढक कर छांव मे रखदे। इस मिश्रण पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए।

अगले दिन इस मिश्रण को फिर से किसी लकड़ी की सहायता से हिलाए, 6 से 7 दिनों तक इसी कार्य को करते रहे। लगभग 7 दिन के बाद जीवामृत उपयोग के लिए बनकर तैयार हो जायेगा। यह 200 लीटर जीवामृत एक एकड़ भूमि के लिये पर्याप्त है।

देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में लगभग 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। जब हम जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर डालते हैं तो लगभग 50 लाख करोड़ जीवाणु इस पानी मे डालते हैं जीवामृत बनते समय हर 20 मिनट में उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। जीवामृत जब हम 7 दिन तक किण्वन के लिए रखते हैं तो उनकी संख्या अरबों–खरबों हो जाती है। जब हम जीवामृत भूमि में पानी के साथ डालते हैं, तब भूमि में ये सूक्ष्म जीव अपने कार्य में लग जाते हैं तथा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं।

जीवामृत के प्रयोग से होने वाले लाभ

1– जीवामृत पौधे को अधिक ठंड और अधिक गर्मी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है।

2– फसलो पर इसके प्रयोग से फूलों और फलों में वृद्धि होती है।

3– जीवामृत सभी प्रकार की फसलों के लिए लाभकरी है।

4– इसमें कोई भी नुकसान देने वाला तत्व या जीवाणु नही है।

5– जीवामृत के प्रयोग से उगे फल,सब्जी, अनाज देखने में सुंदर और खाने में अधिक स्वादिष्ट होते है।

6– पौधों में बिमारियों के प्रति लड़ने की शक्ति बढ़ाता है।

7– मिट्टी में से तत्वों को लेने और उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है।

8– बीज की अंकुरन क्षमता में वृद्धि होती है।

9– इससे फसलों और फलों में एकसारता आती है तथा पैदावार में भी वृद्धि होती है।

जीवामृत का लगातार उपयोग भूमि पर क्या असर डालता है?

1– जीवामृत के लगातार प्रयोग करने से भूमि में केचुआ और अन्य लाभदायक सूक्ष्म जीव जैसे– शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ व बैक्टीरिया इत्यादि में वृद्धि होती है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

2– भूमि की उर्वरा शक्ति मे वृद्धि होती है।

3– भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में भी इसके प्रयोग से सुधार होता है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है।

जीरो बजट का अर्थ है। चाहे कोई भी अन्य फसल हो या बागवानी की फसल हो। उसकी लागत का मूल्य जीरो होगा। मुख्य फसल का लागत मूल्य आंतरवर्तीय फसलों के या मिश्र फसलों के उत्पादन से निकाल लेना और मुख्य फसल बोनस रूप में लेना या आध्यात्मिक कृषि का जीरो बजट है। फसलों को बढ़ने के लिए और उपज लेने के लिए जिन–जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है। वे सभी घर में ही उपलब्ध करना, किसी भी हालत में मंडी से या बाजार से खरीदकर नहीं लाना। यही जीरो बजट खेती है।

तरल जीवामृत को कैसे प्रयोग करें?

इस तरल जीवामृत को कई प्रकार से अपने खेतों मे प्रयोग कर सकते है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल में पानी के साथ जीवामृत देना जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं उस खेत के लिए पानी ले जाने वाली नाली के ऊपर ड्रम को रखकर वाल्व की सहायता से जीवामृत पानी मे डाले धार इतनी रखें कि खेत में पानी लगने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए। जीवामृत पानी में मिलकर अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुँचेगा। इस प्रकार जीवामृत 21 दिनों के अंतराल पर आप फसलो को दे सकते है। इसके अलावा खेत की जुताई के समय भी जीवामृत को मिट्टी पर भी छिड़का जा सकता है। इस तरल जीवामृत का फसलो पर छिड़काव भी कर सकते है। फलदार पेड़ो के लिए पेड़ों दोपहर 12 बजे के समय पेड़ो की जो छाया पड़ती है उस छाया के बाहर की कक्षा के पास 1.0–1.5 फुट पर चारों तरफ से नाली बनाकर प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत महीने में दो बार पानी के साथ दीजिए। जीवामृत छिडकते समय भूमि में नमी होनी चाहिए।

जीवामृत का प्रयोग गेहूँ, मक्का, बाजरा, धान, मूंग, उर्द, कपास, सरसों,मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज, मूली, गाजर आदि फसलो के साथ ही अन्य सभी प्रकार के फलदार पेड़ों में कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है।

Draft

Memorandum of Understanding

The Memorandum of Understanding made on this.....day of ..... (Month), ... (Year) between ..... (name of local body) through its ..... (Competent officer) (here in after called 'First party') which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successor in office and assigns of the one part

AND

....., ... through ..... (Name of officer of Goshala/Firm/Support Organization etc) (here in after called the 'Second party' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successor in office and assigns) of the other parts.

WHEREAS, the First Part has developed Temporary Govansh Ashray Sthal at Village ....., District .....of Uttar Pradesh in an area of about ..... acre and inside the said Temporary Govansh Ashray Sthal which has been made operational for keeping cows and its progeny (Cow, Calf, Heifer, Bull and Bullock) also name as Govansh, who are caught and are kept in Temporary Govansh Ashray Sthal.

Whereas, both the parties are agreed that the operation of the Temporary Govansh Ashray Sthal would be under taken by the ..... and as such M.O.U. has to be prepared between the ..... and the .....

And whereas, the First Party is the absolute owner in possession of the said ..... acre of the land situated in village ....., District ..... over Khasra Plot/s No.

.....
..... and over the same place has been developed for keeping unsheltered/ uncared govansh (cow and its progeny) therein and provide them timely Food, water, proper Shelter and safety (as package of practice). The Animal Husbandry services will be supported by the nearby Government Veterinary Hospital under supervision of Chief Veterinary Officer.
And whereas, the Second Party is desirous to manage the said ..... on the terms and conditions here in after contained in this memorandum of Understanding.

Now this deed of Memorandum of Understanding witness as follows:

1. That the term of MOU shall commence w.e.f. .....(DD/MM/YYYY and shall subject to the terms remain in force for a period of ..... years that is upto ..... (DD/MM/YYYY). The First Party can increase the period if it is satisfied with the package of practice of .....

2. That the ..... shall not sell any cow and its progeny which are at above said place.

3. That the .... will keep the details of Cow and its progeny, newcomer govansh, birth and death of govansh provided to the ....at above said place by the First Party.

4. That the .... will not fix any limit of the animals sent / deployed by the First Party.

5. That the .... will allow the officers of the Government or as deputed / nominated / authorized officer to inspect the ....and if any short coming is found same shall be rectified immediately by ....

6. That the First Party shall provide very primitive requirement as required to establish Temporary Govansh Ashray Sthal. The Second party will not ask to establish any permanent office accommodation etc. A temporary guard room may be sanctioned to provide rest place for guard and workers of ....working at ....

7. That the Electricity, Water, Bhunsa Godown and maintenance would be provided by the First Party at ....

8. That there are several shades for keeping the cow and its progeny at .... but if it is found that the same are in-adequate new temporary shades shall be built by the First Party.

9. That out of .... acre land .... acre of land would be provided to the .... for growing green fodder for the animals, but the ownership of the ....acre land would remain with the First Party. The Green fodder grown would only be utilized for the feeding of Govansh enlisted in .... , the ....will not sell fodder to any outsider.

10. That the First Party will provide the iron chains/rassa for chaining/ restraining of govansh , fodder machine etc as decided by Districtrict Magistrate.

11. That the Veterinary Doctors and paraveterinary staff services would be provided by the First Party. An office Staff may be appointed by Second Party as supervision to supervise day to day activities. .... (Second Party) will keep First Aid medicine form own source for prompt relief and over and above will be borne by the First Party.

12. That if the work of .... is not found satisfactory then the First Party shall have a right to cancel the Memorandum of Understanding by giving one month's notice and the work would be given to any other competent person or Society/Institution. The .... will have no legal right to claim any damages for the First Party.

13. That if it is found that the .... is misutilizing the infrastructure, machines, equipments etc. provided by the First Party , the Second Party will be solely responsible for the losses.

14. That the First Party will undertake the maintenance, repairing, white washing, painting of .... provided to the .... by the First Party as per this MOU.

15. That the ..... shall ensure that all the prophylactic vaccinations against contagious disease of livestock are given at appropriate time and proper records are kept. The vaccination of the govansh will be done by the Department of Animal Husbandry free of cost.

16. That the ..... will accept all the Cow and its progeny sent by the Local bodies or the Government.

17. All sales proceeds from the disposal of Cow's Milk, dung and urine will be utilized in animal welfare activities.

18. All expenses towards stamp duty etc. on this M.O.U. Deed shall be borne by the Second Party.

19. That the First party shall make the payments for labour and security .

20. That the First Party shall provide the Maintenance items as and when required.

21. Any dispute and difference arising out of or in any way touching or concerning this M.O.U. shall be final by The District Magistrate. However if second party not agreed to accept the decision of the District Magistrate it shall be referred to the Sole Arbitrator the Commissioner of ..... Division, ...and there shall be no objection to any such appointment. The award of the Arbitrator so appointed shall be final and binding on both the parties.

In witness where of the parties have signed this M.O.U. on the day and the year first above mentioned.

First Party

Name
Post
Contact #
e- mail -

Witness:

1.

2.

Second Party

Name
Post
Contact #
e-mail -

Witness:

1.

2.